

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-54 / 2024

तारीख दायर:-20.06.2024

तारीख निर्णय:-01.05.2025

1. श्री लालुराम पिता जोधा वडेरा भील निवासी टेपुर तहसील फलासिया।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहन पिता सेजु गमार भील निवासी टेपुर तहसील फलासिया।
2. श्री कान्तीलाल पिता सेजु गमार भील निवासी टेपुर तहसील फलासिया।
3. श्री बाबु पिता सेजु गमार भील निवासी टेपुर तहसील फलासिया।
4. श्री सेजु पिता हीरा गमार भील निवासी टेपुर तहसील फलासिया।
5. चम्पाबाई पत्नी बाबु गमार भील निवासी टेपुर तहसील फलासिया।
6. श्री लालु पिता गुला पारगी भील निवासी टेपुर तहसील फलासिया।
7. श्री अनिया पिता मोता गरासिया निवासी कोट तहसील फलासिया।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री प्रवीण कुमार मेहता

अप्रार्थी की ओर से- एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा पानरवा पटवार क्षेत्र पानरवा तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 2021/25 रकबा 0.2400 है० भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते हैं तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते हैं व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते हैं। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते हैं। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा पानरवा पटवार क्षेत्र पानरवा तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 2021/25 रकबा 0.2400 है० भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मग नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये हैं।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मगन, पत्रावली एवं पत्रावली पर तपलब्ध दरतावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार

